न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनीय आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 143/2002 (223 आर. टी. एक्ट)
जीसीएमएस संख्या 2002/00017

उनवान

हरी सिंह पुत्र चिरंजी (मृतक)

1. इन्दर पुत्र हरी सिंह (मृतक)
   - 1/1. प्रेमवती उर्फ कैलावती
   - 1/2. गुड्डी उर्फ मिथलेश
   - 1/3. कृष्णा उर्फ मोहिनी

   } पुत्रीयान स्व0 इन्दर जाति ब्राहम्ण निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
2. भोजराज पुत्र हरी सिंह (मृतक)
   - 2/1. कुसुमा देवी पत्नी भोजराज
   - 2/2. राकेश } पुत्र भोजराज
   - 2/3. मनोज }
   - 2/4. रेखा पुत्री भोजराज

   } जाति ब्राहम्ण निवासी कुरका तहसील उच्चैन हाल नि0 खेरली गंज तहसील कठूमर जिला अलवर।
3. हेतराम पुत्र हरी सिंह
4. दुर्गा पुत्र हरी सिंह (मृतक)
   - 4/1. सुमनदेवी पत्नी दुर्गा
   - 4/2. यशवन्त पुत्र दुर्गा
   - 4/3. राजकुमारी पुत्री दुर्गा
   - 4/4. कौकसी पुत्री दुर्गा

   } जाति ब्राहम्ण निवासी कुरका तहसील उच्चैन जिला भरतपुर।
   - 4/5. मुस्कान पुत्री दुर्गा जाति ब्राहम्ण निवासी कुरका तहसील उच्चैन।
5. रूपराम पुत्र हरी सिंह
6. रामश्री वेवा हरी सिंह (मृतक)

} जाति ब्राहम्ण निवासी कुरका तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. टीकमराम पुत्र चिरंजी (मृतक)
   - 1/1. राधा देवी वेवा टीकमराम (मृतक)
   - 1/2. अरविन्द पुत्र टीकमराम (मृतक)
     - 1/2/1. गीता देवी पत्नी अरविन्द
     - 1/2/2. दीपक पुत्र अरविन्द
     - 1/2/3. आरती पुत्री अरविन्द
     - 1/2/4. ज्योती पुत्री अरविन्द
   - 1/3. रविन्द्र } पुत्र टीकमराम
   - 1/4. गोविन्द }
   - 1/5. उषा देवी
   - 1/6. सल्ला
   - 1/7. अनीता
   - 1/8. शशि
   - 1/9. लक्ष्मी

   } पुत्री टीकमराम

} जाति ब्राहम्ण निवासी उच्चैन तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

.... असल रैस्पो0

2. पारवती पुत्री चिरंजी जाति ब्राहम्ण निवासी नगला कल्यानपुर तहसील व जिला भरतपुर।
3. अमर सिंह
4. शंकर
5. गुड्डी
6. विद्या

(3 से 6) पिसरान गंगाधर

7. अशरफी वेवा गंगाधर

(3 से 7) जाति ब्राहम्ण निवासी कुरका तह0 उच्चैन जिला भरतपुर।

8. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् जिला कलक्टर भरतपुर।
9. तहसीलदार, तहसील रूपवास।

.... तरतीवी रैस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्याया0 सहायक जिलाधीश बयाना दि0 31.05.1978 प्राथमिक व दिनांक 25.11.1985 फाईनल डिक्री प्रकरण संख्या 158/85 उनवानी टीकमराम बनाम हरी सिंह।

उपस्थित :–

1. श्री महाराज सिंह वकील अपीलांट।
2. रैस्पो0 अनुपस्थित।

निर्णय — दिनांक–02.04.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय सहायक जिलाधीश बयाना के निर्णय दिनांक 31.05.1978 प्राथमिक व दिनांक 25.11.1985 अंतिम डिक्री के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रैस्पो0 ने एक दावा अंतर्गत धारा 88, 89 व 188 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/अपीलाण्ट इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम कुरका तहसील रूपवास जिला भरतपुर में स्थित है। विवादित आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 01 हरी सिंह 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार काश्तकार हैं व प्रतिवादी संख्या 2 गंगाधर निष्फ हिस्से के भागीदार हैं। यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 हरी सिंह के पिता चिरंजीलाल वादी की नाबालिगी में ही मर चुके हैं। प्रतिवादी संख्या 01 हरी सिंह वादी के बडे भाई होने के नाते एवं कर्ता खानदान होने के कारण वादी की नाबालिगी का फायदा उठाते हुये सम्पूर्ण आराजी पर प्रतिवादी संख्या 01 हरी सिंह ने अपने नाम दर्ज करा ली। जबकि विवादित आराजी में वादी का भी 1/4 हिस्सा होता है। अतः वाद प्रस्तुत कर उक्तानुसार डिक्री किये जाने एवं विवादित आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.05.1978 से प्राथमिक डिक्री करते हुये, तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव तलव किये एवं प्राप्त विभाजन प्रस्तावो के आधार पर अपीलाधीन आदेश दिनांक 25.11.1985 से अंतिम डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद सूचना रैस्पो0 न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाकर बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अपीलाधीन आदेश अपीलाण्ट को बिना सुने, एक पक्षीय रूप से डिक्री हुआ है। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है। बल्कि अपीलाण्ट की स्वः अर्जित सम्पत्ति है। यदि कुछ जमीन पैतृक भी हो तो उसमें चिरंजीलाल की पुत्री पारवती भी एक तिहाई की हिस्सेदार होती है। लेकिन रैस्पो0 ने उन्हें दावे में पक्षकार नहीं बनाया। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। विभाजन प्रस्ताव भी स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये गये हैं। जबकि विभाजन के प्रकरण में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तलव करने होते हैं। अंत में दोनों डिक्री प्राथमिक एवं अंतिम को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस अपीलाण्ट पर मनन किया। अपीलाण्ट की हस्तगत अपील में प्रमुखता से यह आपत्ति रही है कि प्रकरण में गंगाधर की मृत्यु दौराने दावा हो गयी थी। परन्तु उसके विधिक वारिसान को रिकार्ड पर लिये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक व्यक्ति के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी। विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति नहीं है बल्कि अपीलाण्ट की स्वः अर्जित सम्पत्ति है। इसके अलावा विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। हमने मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव, जो लगभग जीर्ण–शीर्ण हो चुके हैं। परन्तु जितना पढने पर आ पाया, विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा नहीं बनाये जाकर पटवारी हल्का द्वारा तैयार किये गये हैं। जबकि विभाजन के प्रकरण में स्वयं तहसीलदार को मौके पर जाकर पक्षकारो की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जाना आज्ञापक है। प्रकरण में अपीलाण्ट दौराने दावा गंगाधर की मृत्यु होना एवं विवादित आराजी को स्वःअर्जित सम्पत्ति होना कथन करते हैं। अतः प्रथम दृष्टया डिक्री भी मृतक व्यक्ति के विरूद्ध पारित होने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। जैसा कि ऊपर विवेचना में आ चुका है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली जीर्ण–शीर्ण हो चुकी है एवं दस्तावेजी साक्ष्य भी पढने में नहीं आ पा रहे हैं। अतः प्रकरण के समस्त तथ्य न्यायालय के समक्ष उभर कर नहीं आ पा रहे हैं। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश एक पक्षीय रूप से अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित हुआ है। अतः हम न्यायहित में प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय के लिये, विवादित आराजी पैतृक सम्पत्ति है अथवा नहीं पर उभयपक्ष से दस्तावेजी साक्ष्य लेकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

5. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक जिलाधीश बयाना के निर्णय व डिक्री दिनांक क्रमशः 31.05.1978 व 25.11.85 निरस्त किये जाकर

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रकरण उपरोक्त तथ्यों की पृष्ठभूमि में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

6. निर्णय आज दिनांक 02.04.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर